details had not been furnished. The State Government has been asked to surrender Rs. 8.00 lakhs remained un-utilised with the State Government out of the funds released under Coaching and Allied Scheme during previous years.

Minorities Developmnet Finance Corporaiton

1925. SHRI K. R. MALKANI: Will the Minister of WELFARE be pleased to state:

(a) whether Government are planning a Minorities Development Finance Corporation with a corpus of Rs. 500 crores;

(b) whether it will be open only to religious minorities or to linguistic, ethnic and other minorities also;

(c) whether among religious minorities it will be open to Sikhs, Christians, Parsis etc. also, or only to Muslims;

(d) whether Government regards Qadianis as Muslims;

(e) what will be the special terms and conditions of this Corporation; and

(f) whether this will not amount to special treatment of some citizens and of one particular Bank in violation of the equal rights and equal obligations provisions of the Constitution?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WELFARE (SHRI K. V. THANGKA BALU): (a) Government has already set up on 30th September, 94 a National Minorities Development & Finance Corporation (NMDFC) with an authorised share capital of Rs. 500 crores.

(b) According to Articles of Association of the NMDFC, minorities mean those communities that are notified as such by the Central Government under the National Minorities Commission Act, 1992 or, in the context of States/UTs those communities that are notified as such by the respective State Governments/ UT Administrations.

(c) At the Central level, the benefits extend to 5 religious minorities, viz. Muslims, Christians, Sikhs, Parsis and Budhists.

(d) Since no such problem has came up so far in the implementation of the scheme of NMDFC, it has not been necessary to form a view in this regard.

(e) The NMDFC will provide financial assistance to the members of minorities living below double the poverty line for establishing self-employment ventures at concessional rate of interest. At present the following terms and conditions are applicable:—

(i) The rate of interest chargeable on Term loan is 7 percent—9 percent and for Margin Money loan 2 percent p.a to the ultimate beneficiary.

(ii) The maximum limit for NMDFC loan component is Rs. 85,000 per beneficiary for term loan, and maximum Rs. 25.000 for Margin Money loan.

(f) The NMDFC is a Company incorporated under Section 25 of the Companies Act, 1956 and is not a bank. The Corporation will provide loans and advances ony to the backward sections amongst the minorities. The Corporation has been set up keeping in view the provisions of the Constitution.

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों पर हुए अत्याचार

1926. श्री गुंडप्पा कोरवार :
श्री अजीत जोगी :
श्री मूलचन्द मीणा :

क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय के व्यक्तियों पर वर्ष

1993-94 तथा वर्ष 1994-95 में (जनवरी 1995 तक) राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्रवार अत्याचार के कितने मामले हुए ;

(ख) वर्ष 1993-94 के दौरान राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्रवार ऐसे कितने मामल दर्ज किये गये ;

(ग) 30 दिसम्बर 1994 तक इन मामलों में कितने व्यक्ति दोषी ठहराए गये और दंडित किये गये :

(घ) 30 दिसम्बर 1994 तक राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्रवार कितने मामले संम्बिंत थे कुल कितने व्यक्तियों पर मुकदमें चल रहे है और वर्षवार दर्ज किए गए मामलों का ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) इन अत्याचारों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं/उठाये जाने की संभावना है ?

कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के०वी० तांकाबालू) . (क) और (ख) विवरण संलग्न है। (नीचे देखिये)

(ग) तथा (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

(ङ) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचार रोकने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए है :--

(1) अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड के अप्रभावित राज्यों को छोड़कर सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र, प्रशासनों ने अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के अंतर्गत अपराधों की जांच के लिए विद्यमान सत्र न्यायालयों की विशेष न्यायालयों के रूप में विनिर्दिष्ट किया है । राजस्थान आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्य सरकारों ने ऐसे मामलों की जांच के लिए अलग से क्रमशः सोलह, तीन और दस विशेष न्यायालय स्थापित किए हैं ।

(2) एक केन्द्र प्रायोजित कार्यक्रम के अंतगगत नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 और अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के कार्यान्वयन के लिए राज्यों को प्रति वर्ष 50 . 50 आधार पर और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को 100% आधार पर केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है। 1994-95 के दौरान बजट में 600 लाख रु० के प्रावधान के मुकाबले में अब तक 560 लाख रु,० की धनराशि प्रदान कर दी गई है ।

(3) अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध अपराधों को रोक के लिए विभिन्न एहतियाती निवारणात्मक दण्डात्मक और पुनर्वासात्मक उपायों का सुझाव देते हुए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को विस्तृत मार्गदर्शी निर्देश जारी किए गए हैं ।

(4) अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचारों की रोकथाम के लिए 4-5 अक्तूबर 1991 को प्रधान मंत्री जी की अध्यक्षता में मुख्य मंत्रियों का एक सम्मेलन हुआ था जिसमें भूमि हदबन्दी कानूनों के अंतर्गत अतिरिक्त भूमि का वितरण, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से सम्बद्ध अधिकारियों की महत्वपूर्ण और अनुसूचित जनजातियों से सम्बद्ध अधिकारियों की महत्वपूर्ण पदों पर तैनाती, संवेदनशील जिलों में अनुसूचित जाति/जनजाति से संबंधित मामलों के लिए प्रभारी बनाकर एक अपर जिला मजिस्ट्रेट के विद्यमान पद को अनन्य रूप से पदनामित करना, जैसे ही कोई अत्याचार की घटना हो, स्थानीय अधिकारियों का उस अपराध स्थान का शीघ्र दौरा ही आरम्भ करना, मामलों की शीघ्र जांच सुनिश्चित करने के लिए विशेष जांच सैलों का सृजन करना और मामलों को न्यायालयों में मेहनत से चलाने जैसी विभिन्न सिफारिशें आवश्यक कार्रवाई हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को भेजी गई थी ।

(5) इसके अतिरिक्त कल्याण मंत्री ने अपने 3-6-93 के शासकीय पत्र के तहत भी सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य मंत्रियों, उप-राज्यपालों तथा प्रशासनों को यह अनुरोध किया था कि :

(क) अत्याचार के मामलों के शीघ्र निष्पादन अधिमानतः निश्चित समय सीमा में करने के लिए उपाए आरम्भ करना ;

(ख) देर करने वाली या दोषपूर्ण जांच के लिए जिम्मेदार कारणों का कार्यान्वयन अध्ययन और विश्लेषण करना ; और

(ग) पुलिस तंत्र में उनका विश्वास पैदा करने और अत्याचार करने वालों में भय की भावना का संचार करने के लिए पुलिस बल में विभिन्न स्तरों पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों के व्यक्तियों को उचित प्रतिनिधित्व देने पर विचार करना ;

(6) कल्याण राज्य मंत्री ने भी यह सुनिश्चित करने के लिए राज्यों के मुख्य मंत्रियों से अनुरोध किया था कि :

(क) अत्याचार के मामलों को प्राथमिकता आधार पर निपटाया जाए और उनके शीघ्र निपटान के लिए देरी के कारणों की जांच की जाए।

(ख) अत्याचारों के मामलों में गवाहों को पूरी सुरक्षा व पारिश्रमिक प्रदान किया जाए,

(ग) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रति प्रमाणित निष्ठा वाले महानुभूति रखने वाले अधिकारियों को अत्याचार प्रवण क्षेत्रों में आरम्भिक स्तर पर तैनात किया जाए ।

(घ) अनुसूचित जातियों/जनजातियों तथा प्रभावी लोगों के बीच मुख्य विवादों पर जिला अधिकारियों के माध्यम से निगरानी रखी जाए और किसी अप्रिय घटना को रोकने के लिए जहां कहीं आवश्यक हो उपचारात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए ।

इसके अतिरिक्त इस संबंध में समुचित कार्रवाई करने के लिए राज्य सरकारों को सरकारी स्तर पर भी समय-समय पर पत्र भेजे जाते है ।

(7) कल्याण मंत्रालय में दिनांक 15-10-91 से अनुसूचित जातियों व जनजातियों पर किसी अत्याचार की घटना की तत्काल सूचना प्राप्त करने और अत्याचार से पीड़ित व्यक्तियों को राहत तथा सहायता प्रदान करने के लिए शीघ्र एवं प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने हेतु एक नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है ।

(8) नई दिल्ली में दिनांक 6 से 8 जुलाई, 1994 तक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के पुलिस महानिदेशकों और केन्द्रीय पुलिस संगठनों के प्रमुखों का एक वार्षिक सम्मेलन हुआ जिसमें समाज के ऐसे संवेदनशील वर्गों के विरुद्ध अपराधों को रोकने के लिए विशिष्ट उपायों पर मतैक्य तैयार करने हेतु "अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों महिलाओं" तथा समाज के अन्य वर्गों के विरुद्ध अत्याचारों का समाना करने के लिए तंत्र के सुदृढ़ीकरण संबंधी विषय पर भी विचार किया गया ।

विवरण

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा दिए गए आंकड़ों के आधार पर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों पर वर्ष 1993-94 तथा वर्ष 1994-95 (जनवरी 1995 तक) अत्याचार के मामलों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार संख्या ।

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1993-94		1994-95 (जनवरी 95 तक)	
		अ०जा०	अ०ज०जा०	अ०जा०	अ०ज०जा०
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	513	82	प्राप्त नहीं	प्राप्त नहीं
2	अरुणाचल प्रदेश	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
3.	असम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
4.	बिहार	304	प्राप्त नहीं	56	2
5	गोवा	9	1	शून्य	शून्य
6.	गुजरात	1806	386	1449	321
7	हरियाणा	72	शून्य	40	शून्य
8.	हिमाचल प्रदेश	86	शून्य	191	शून्य
9.	जम्मू और कश्मीर	19	शून्य	15	शून्य
10.	कर्नाटक	896	76	635	49
11.	केरल	523	69	423	56
12.	मध्य प्रदेश	4520	1725	3121	1274
13.	महाराष्ट्र	1584	475	1098	273
14	मणिपुर	शून्य	2	शून्य	2
15.	मेघालय	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
16.	मिजोरम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
17.	नागालैंड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
18	उड़ीसा	463	187	447	150
19.	पंजाब	7	शून्य	12	शून्य
20.	राजस्थान	3005	975	1157	161
21.	सिक्किम	22	13	9	7
22.	तमिलनाडु	650	6	516	19
23.	त्रिपुरा	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
24.	उत्तर प्रदेश	5136	शून्य	8471	शून्य
25.	प० बंगाल	11	7	1	5
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

1	2	3	4	5	6
27.	चंडीगढ़	शून्य	शून्य	1	शून्य
28.	दादर और नगर हवेली	5	11	2	4
29.	दिल्ली	7	शून्य	3	शून्य
30.	दमन और दीव	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
31.	लक्षद्वीप	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
32.	पांडिचेरी	9	शून्य	13	शून्य
	कुल :	19687	4005	17660	2323

नोट :— 1. आन्ध्र प्रदेश सरकार से अक्तूबर, 1993 से मार्च, 1994 तक था बिहार सरकार जुलाई, 1993 से मार्च, 1994 तक की सूचना प्राप्त नहीं हुई।

2. आन्ध्र प्रदेश, सरकार से अप्रैल, 1994 से जनवरी, 1995 तक की सूचना प्राप्त नहीं हुई। बिहार सरकार से केवल माह मई, 1994 की सूचना प्राप्त हुई। हरियाणा और हिमाचल प्रदेश ने सितम्बर, 1994 तक, कर्नाटक ने नवम्बर, 1994 तक, केरल ने अक्तूबर, 1994 तक और राजस्थान तथा पश्चिम बंगाल ने जुलाई, 1994 तक की सूचना भेजी है।

3. (सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, गोवा, चंडीगढ़, दिल्ली, पांडिचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा और लक्षद्वीप को छोड़ कर) से माह जनवरी, 1995 की सूचना की प्रतीक्षा है।

Prevention of drug abuse among youth

1927. SHRIMATI ANANDIBEN JETHABHAI PATEL: Will the Minister of WELFARE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that younger generation of the country is being attracted toward drug abuse:

(b) if so, what action Government have taken to curb such activities;

(c) whether it is a fact that most of the College and University campuses are flooded with drugs; and

(d) what action Government have taken to prevent younger generation from drug abuse?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WELFARE (SHRI K. V. THANGKA BALU: (a) and (c) Research studies conducted in 1975-76 in 7 Universities and repeat studies conducted in 1985-86 in 9 Universities have shown that drug abuse was more prevalent among the students having urban background, higher income group families and those residing in College Hostels, etc. Studies conduced in 1989-90 in 33 cities have also revealed that the problem of drug abuse was most prevalent in the age group 16—35.

(b) and (d) In order to control drug abuse, the Government of India has adopted a two-pronged strategy, i.e. (1) Supply Control, and (2) Demand Reduction. To reduce the demand for drugs, a massive awareness